भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1143

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2016 को दिया गया)

डीडीसीए में अनियमितताएं

1143. श्री भर्तृहरि महताब :

श्री संजय धोत्रे:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2008 से दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) के कार्यकरण में अनियमितताओं के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में जांच की/प्रस्तावित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री **(श्री जयंत सिन्हा)**

(क): जी, हां। कथित अनियमितताएं इस प्रकार हैं-

नए सदस्यों के पते में अनियमितताएं;
पुराने सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने में अनियमितताएं;
वार्षिक अंशदान शुल्क का भुगतान न करना;
निदेशकों को मानदेय/सेवा प्रभार/पारिश्रमिक का भुगतान करना;
बिल पास करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया न होना;
लेखापरीक्षकों की कार्यप्रणाली के विरूद्ध आरोप;
जिस भूमि पर स्टेडियम बनाया गया है उस भूमि का कोई वैध पट्टा न होना;

(ख) और (ग): जी, हां। कंपनी की लेखाबही और अन्य अभिलेखों के निरीक्षण किया जा रहा है। मंत्रालय के 28.09.2012 के निरीक्षण आदेश की पहली रिपोर्ट में लेखांकन मानक 5, 15, 18,19, 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 36, 150, 166/210, 209(1), 209(3)(ख),

अनुसूची-VI के साथ पठित 211, 217(3), 285, 299, 303, 309, 314 और 211(3क)/(3ग) के उल्लंघनों का उल्लेख किया गया है। ये सभी अपराध शमनीय (कंपाउन्डेबल) है।

दोषी कंपनी तथा अधिकारी ने इऩ अपराधों के उपशमन के लिए आवेदन किया और इसे कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी विधि बोर्ड को भिजवा दिया गया है।

डीडीसीए के वैधानिक लेखापरीक्षक के विरूद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 के साथ पठित धारा 227 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए अभियोजन दायर किया गया था। इसके अतिरिक्त, वैधानिक लेखापरीक्षक के विरूद्ध भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान में शिकायत भी दर्ज की गई थी।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206(5) के अंतर्गत दिनांक 27.03.2015 को निरीक्षण का आदेश किया था जो चल रहा है।

(घ): विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।

(ड.): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206(5) के अधीन निरीक्षण चल रहा है।

*****